

क्रमांक: आरएफसी / पीए-19(5)1303

दिनांक: 12.01.2022

विज्ञप्ति (सूचना)

सेवारत अधिकारियों / कर्मचारियों को राजस्थान वित्त निगम में प्रतिनियुक्ति पर लेने हेतु।

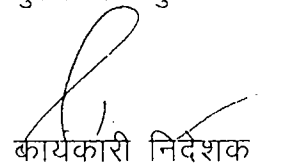
राजस्थान वित्त निगम में निम्न अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। रिक्तियों का विवरण एवं पद की योग्यता का विवरण निम्नानुसार है।

उक्त प्रतिनियुक्ति राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिनियुक्ति नियमों के तहत की जावेगी।

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्त पद	वर्तमान मूल पद का पे बैंड एवं वेतन श्रृंखला	योग्यता	स्थान जहाँ प्रतिनियुक्ति दी जानी है	राज्य सरकार के समकक्ष / समान पदों के नाम
1	सहायक प्रबन्धक (तकनीकी)	07	(PB-2) 9300-34800 GP 4800 (L-12)	तकनीकी स्नातक	मुख्यालय, जयपुर एवं शाखा कार्यालय	AEN
2	सहायक प्रबन्धक (विधि)	04	(PB-2) 9300-34800 GP 4800 (L-12)	विधि स्नातक	मुख्यालय, जयपुर एवं शाखा कार्यालय	ALR/DLR
3	वरिष्ठ सहायक	02	(PB-2) 9300-34800 GP 4200 (L-11)	प्रथम श्रेणी वाणिज्यिक स्नातक / सीए	मुख्यालय, जयपुर एवं शाखा कार्यालय	Assistant Accounts Officer
4	सहायक	10	(PB-2) 9300-34800 GP 3600 (L-10)	स्नातक	मुख्यालय, जयपुर एवं शाखा कार्यालय	Informatics Asstt.

नोट:-

- जो कार्मिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करेंगे, उनको प्राथमिकता दी जावेगी।
- कम्प्यूटर एवं वित्त निगम के कार्य से संबंधित ज्ञान रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी।
- चयनित कार्मिकों का एक पैनल तैयार किया जायेगा जो साक्षात्कार तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
- चयन सूची जारी होने के 15 दिवस के अन्दर पश्चात अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा चयन निरस्त कर दिया जावेगा।
- परिवीक्षाधीन कार्मिकों के आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। नियमित / स्थाई कार्मिक ही आवेदन करें।
- विज्ञप्ति में अंकित रिक्त पदों की रिश्ति तत्समय पर रिक्त पदों के अनुरूप कम या अधिक हो सकती है।
- अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय समय में मुख्यालय पर सम्पर्क किया जा सकता है।
- निगम कार्यालय में कार्यालय समय में प्रार्थना पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि 31.01.2022 है।
- प्रतिनियुक्ति के दौरान कर्मचारी को देय वेतन जो कि वे पैतृक संस्थान में प्राप्त कर रहे थे देय होंगे।
- वित्त विभाग के परिपत्र सं. प.1 (4) वित्त / नियम / 2019 दिनांक 28.12.2021 के अनुरूप प्रतिनियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी।


कार्यकारी निदेशक